

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक २१/०२/२०१८

क्रमांक एफ ०९-०१/२०१८/१७/मेडि-१: राज्य शासन एतद् द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संवर्ग के सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों (प्रथम श्रेणी स्तर के) के लिए समयमान वेतनमान के प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्न समिति का गठन किया जाता है:-

1. आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
म०प्र० भोपाल। - अध्यक्ष
2. अपर संचालक (वित्त)
स्वास्थ्य सेवायें,
म०प्र० भोपाल। - सदस्य
3. अपर संचालक (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवायें,
म०प्र० भोपाल। - सदस्य, सचिव

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक २१/०२/२०१८

पृ. क्रमांक एफ ०९-०१/२०१८/१७/मेडि-१

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान० मंत्री जी, लो.स्वा. एवं परि.क.विभाग, म०प्र० भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
 4. अपर संचालक (वित्त), स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
 5. अपर संचालक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग